तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

83/17

12.11.22

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि पत्रावली पर साक्षीगण हाजिर होने के कारण वे प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब की जावे वकील वादी के विरुद्ध यह वाद Not Pressed के खारिज किया जाता है अतः वाद निरस्त है. पत्रावली चेपल शुरू हो कर नकल के लिए है व पत्रावली दफ्तार है

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Not Pressed

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:37:19 IST
Reason: SelfAttested